(5)

PCE's Circular No.4 /2006/Works

विषय : **कार्य निष्पादन के दौरान ठेके की शर्तों और कार्य की मात्रा में परिवर्तन।**

कार्य निष्पादन के समय मात्रा में सामान्य परिवर्तन, जो ठेके के शर्त एवं नियम के अन्तर्गत हों,से अतिरिक्त परिवर्तन होने पर इन्जी. संहिता के पैरा १२६५ एवं १२६८ तथा ठेके के साधारण शर्तों के पैरा ३९, ४१ एवं ४२ के अनुसार कार्यवाही करनी है। इन पैरा में समय समय पर किए गए परिवर्तन, यदि वे ठेके के शर्त एवं नियम में सम्मिलित हैं, तो उनका भी पालन करना है।

ठेके में परिवर्तन का अनुमोदन यदि मुख्यालय स्तर पर होना है तो निम्न प्रक्रिया अपनाए:-

१. केस को नियमानुसार समय से प्रासेस करें जिससे पोस्ट फैक्टो अनुमोदन लेने की स्थिति न आए। अतिरिक्त कार्य को शुरू करने के पहले अनुमोदन अवश्य प्राप्त करें। पोस्ट फैक्टो के प्रस्ताव पर सेक्शनल म.इ./व.म.इ. साथ में देरी का स्पष्टीकरण भी अलग से भेजेगें।

२. प्रस्ताव सेक्शनल व.म.इ/म.इ द्वारा बनाया जाएगा और व.म.इ./सम. के हस्ताक्षर से मुख्यालय को अग्रसारित किया जाएगा। व.म.इ./सम. को ऐसे प्रस्तावों की पूरी जानकारी होनी है।

३. मंडल स्तर पर वित्त विभाग द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए म.रे.प्र. का अनुमोदन प्रस्ताव पर प्राप्त करें।

४. प्रस्ताव को क्रोनोलाजिकल आर्डर में सेल्फ कन्टेन्ड नोट के साथ भेजें। आवश्यक कागजों को, मूल रूप या फोटो कापी (अटेस्टेड), संलग्न करें। मंडल की फाइल मुख्यालय में न भेजें।

सभी व.म.इ./म.इ. इसके अनुपालन को सुनिश्चित करेगें।

(अशोक कुमार मिश्र)
मुख्य इंजीनियर/कार्य
पूमरे/हाजीपुर।

Docket No. W-2/118/09/Works Policy/1735H Dated 16 . 10. 06

प्रतिलिपिः- म.रे.प्र/इंजी. एवं म.रे.प्र./वित्त, पूमरे, धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, समस्तीपुर एवं सोनपुर।